

दर्ज कराई

परिपत्र संख्या 591

तिथि: 13.11.2017

सेवामे

1. मुख्य लेखाकार, आरबीआई, विभाग सरकार, बैंक खाते, केंद्रीय कार्यालय सी -7, द्वितीय तल, बंदरे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, पी बी नं। 8143, बैन्ट्रे ईस्ट मुंबई -400051
2. सभी सीएमडी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
3. नोडल अधिकारी, आईसीआईसीआई / एचडीएफसी / एक्सिस / आईडीबीआई बैंक
4. सभी प्रबंधक, सीपीपीसी
5. सैन्य और वायु अटैच, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल
6. पीसीडीए (डब्ल्यूसी), चंडीगढ़
7. सीडीए (पीडी), मेरठ
8. सीडीए, चेन्नई
9. ट्रेजरी के निदेशक, सभी राज्यों
10. वेतन और लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशासन, आर के पुरम और तीस हजारी, नई दिल्ली
11. वेतन एवं लेखा कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई
12. पोस्ट मास्टर कठुआ (जम्मू और कश्मीर), शिविर बेल बे।
13. प्रिंसिपल पे और लेखा अधिकारी अंडमान निकोबार प्रशासन पोर्ट ब्लेयर

विषय : - सभी प्री-01.06.1953 को 'वन रैंक वन पेंशन' का कार्यान्वयन रक्षा पेंशनभोगी, पूर्व राज्य बल पेंशनरों और उनके परिवारों

संदर्भ : - भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं 12 (1) / 2014 / डी (पेन / नीति) भाग द्वितीय दिनांक 3 फरवरी, 2016 (परिपत्र सं 555 दिनांक 04.02.2016), परिपत्र 557 दिनांक 17.03.2016, सर्कुलर 580 दिनांक 02.08.2017

05.07.2017 और परिपत्र 581 दिनांक मौजूदा के तहत

सरकार के आदेश, संशोधन के तहत पेंशन का OROP योजना प्रभावी होगी 01.07.2014 से प्रभावी, और का भुगतान बकाया पेंशन के संशोधन के कारण अर्जित किया, यदि किसी भी, होगा बना हुआ एक समय में सीमा जिस तरह से परिपत्र सं। 555 के पैरा 17.1 में दिनांक 04.02.2016 दिनांकित

2. इस में संबंध में, यह कहा गया है कि पैरा 4 के अनुसार भारत सरकार, एमओडी पत्र सं .12 (1) / 2014 / डी (पेन / नीति) भाग द्वितीय दिनांक 03.02.2016 परिचालित इस कार्यालय में देखें परिपत्र सं 555 दिनांक 04.02.2016, प्रावधानों ओआरओपी का भी पूर्व- 01.06.1953 सेवानिवृत्त पेंशनरों, पूर्व राज्य बल पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए पेंशन / परिवार पेंशन का संशोधन तदनुसार, ओआरओपी का भी लाभ होना चाहिए दिया हुआ पूर्व राज्य बल के लिए पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के अनुसार उपयुक्त टेबल, जो 01.07.2014 को पेंशन प्राप्त करने में थे

3. आगे, सामान्य पारिवारिक पेंशन, विशेष परिवार पेंशन, द्वितीय जीवन की दर पुरस्कार एसएफपी का, उदारवादी परिवार पेंशन, दूसरा जीवन का पुरस्कार एलएफपी, विकलांगता /100% विकलांगता, 100% विकलांगता के लिए युद्ध चोट तत्व (अमान्य बाहर मामला) के लिए 100% विकलांगता, युद्ध चोट तत्व (निर्वहन) के लिए उदारीकृत विकलांगता तत्व अब इस परिपत्र के संलग्न तालिका में तालिका सं। 97 ए, टेबल नंबर 98 ए के रूप में प्रदान किया गया है।, तालिका नहीं 99 ए, तालिका संख्या 100 ए और टेबल नंबर 101 ए, दर के रूप में इन प्रकार के पेंशन 04.02.2016 की परिपत्र सं। 555 में नहीं दी गई थी और इनकी मांग थी दरें विभिन्न पीडीए और पेंशनभोगी द्वारा उठाए गए थे ये दर पर आधारित हैं तालिकाओं में दरों का लागू प्रतिशत क्रमशः 97 ओ 101

4. इसलिए, तेज करने के लिए समय पर संशोधन सभी के संबंध में पेंशन पूर्व 1953/06/01 पेंशनभोगी, पूर्व राज्य बल पेंशनरों और उनके परिवार, इस पेंशन वितरण एजेंसियों को सभी पूर्व 01.06.1953 पेंशनभोगी, पूर्व राज्य बल पेंशनरों और उनके परिवारों के पेंशन को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है बिना नियमित रूप से नियमित सशस्त्र बलवान कर्मियों पर लागू दरों के अनुसार Corr। PPOs।

5. अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

6. यह परिपत्र पर अपलोड किया गया है इस कार्यालय वेबसाइट www.pcdapension.nic.in सभी संबंधित के लिए प्रसार के लिए।

जीटीएस / टेक / 0167 / XXVIII दिनांक: 13.11.2017

(नसीम उल्लाह) एसीडीए (पेंशन)